वकील [illegible] पत्रावली, पूर्व आदेश
अनुसार दिनांक..... को पेश की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं

श्री हनी

अन्तर्गत

प्रस्तुत वाद पत्र की

1. क्या क्षेत्राधि
2. क्या पर्या
3. क्या
4. क

श्रीमान् पत्रावली आज पेश की जा रही है। बादी
अधिवक्ता हाजिर नहीं। वाद पत्र अदम पैरवी
एवं अदम हाजरी स्टेज पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली निस्तित होकर दाखिल
दफ्तर हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:02 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner